

कार्यालय संभागीय संयुक्त निदेशक स्कूल शिक्षा जोधपुर

कार्यालय आदेश

निम्नांकित कनिष्ठ सहायकों का अन्तर जिला स्थानान्तरण/पदस्थापन कॉलम संख्या 7 में अंकित स्थान पर तत्काल प्रभाव से एतद् द्वारा किया जाता है :-

S. No.	Name	Employee ID	Subject	Present Posting Place		New Posting Place		TA/DA
				Name of School	District	Name of School	District	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	SURJEET	RJBM202005019265	Junior Assistant	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL KHEJADIYALI (227004)	BARMER	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL SINDHIYON KI DHANI CHICHADLI (477905)	JODHPUR	NO
2	MOHIT PALIYA	RJBM201805001092	Junior Assistant	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL SAJIYALI ROOPJI RAJABERI (220675)	BARMER	GOVT. GIRLS SENIOR SECONDARY SCHOOL PHADIYA BERA JODHPUR CITY (403531)	JODHPUR	NO
3	DINESH	RJBM202105009358	Junior Assistant	SHAHEED MANGAL SINGH GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL REWARA JETMAL (220690)	BARMER	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL NADSAR (219069)	JODHPUR	NO
4	SURESH	RJBM202005022076	Junior Assistant	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL SINER (220751)	BARMER	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL NANDIYA KHURD (220344)	JODHPUR	NO
5	DILIP	RJBM201905030128	Junior Assistant	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL WARIYO KI DHANI (220701)	BARMER	GOVT. GIRLS SENIOR SECONDARY SCHOOL GANGANI (219750)	JODHPUR	NO
6	CHAMPA RAM	RJBM202005021759	Junior Assistant	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL KESUMBALA BHATIYAN (220620)	BARMER	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL BAGTHAL (220514)	JAISALMER	NO

उक्त स्थानान्तरण/पदस्थापन आदेशों की पालना निम्नांकित शर्तों के अनुसार की जानी सुनिश्चित करावे :-

1. स्थानान्तरित कार्मिक को उसके सम्बन्धित पद पर ही कार्यग्रहण करवाया जावे। अन्य पद के विरुद्ध कार्यग्रहण नहीं करवाया जावे।
2. राजस्थान स्वैच्छा ग्रामीण शिक्षा सेवा नियम, 2010 के तहत पदस्थापित कार्मिकों को पदस्थापन नियमों के अनुसार नगर निगम/नगर परिषद/नगर पालिका/शहरी क्षेत्र के पदस्थापन स्थान हेतु कार्यमुक्त/कार्यग्रहण नहीं करवाया जावे।
3. यदि स्थानान्तरित स्थान पर कार्यरत कार्मिक विधवा/परित्यक्ता/दृष्टिहीन/दोनों पैरों से दिव्यांग/गम्भीर बीमारी (कैंसर, ब्रेन ट्यूमर, गुर्दा प्रत्यारोपण) से ग्रसित हो तो उक्त कार्मिक को कार्यमुक्त/कार्यग्रहण नहीं करवाया जावे।
4. राजस्थान सेवा नियम 1951 के नियम-144 "क" के तहत प्रतिनियुक्त/माननीय न्यायालय से स्थगन प्राप्त कार्मिक/लम्बे समय से अनुपस्थित कार्मिक/वर्तमान में अध्ययन अवकाश पर चल रहे कार्मिक/निलम्बित कार्मिक को कार्यमुक्त/कार्यग्रहण नहीं करवाया जाकर इस कार्यालय को अवगत करवाते हुए नवीन निर्देश प्राप्त करेंगे।
5. स्थानान्तरित कार्मिक को शालादर्पण के माध्यम से ही कार्यमुक्त/कार्यग्रहण करवाया जाना सुनिश्चित करावे।
6. स्वैच्छा से जिला परिवर्तन फलस्वरूप नवीन जिले में इनकी वरिष्ठता का निर्धारण जिले में कनिष्ठतम एवं समकक्ष कार्यरत कार्मिक के नीचे कार्यग्रहण की दिनांक से अवधारित होगा। संबंधित नियंत्रण अधिकारी द्वारा कार्यग्रहण कराने से पूर्व कार्यरत जिले की वरिष्ठता विलोपन संबंधी सहमति का शपथ पत्र आवश्यक रूप से लिया जाना है ताकि इनके पूर्व जिले से वरिष्ठता विलोपन (प्रपत्र-6) जारी करने की कार्यवाही करावाई जा सके।
7. यह आदेश सक्षम स्तर से अनुमोदित हैं।

(प्रेमचन्द्र सांखला)
संभागीय संयुक्त निदेशक
स्कूल शिक्षा जोधपुर
दिनांक-20.12.2022

क्रमांक :-ईजेडी/स्कूल शिक्षा/जोध/ईसी/स्थानान्तरण/2022/279

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा मंत्री, प्रा. एवं मा. संस्कृत शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा राज्य मंत्री, प्रा. एवं मा. संस्कृत शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. निदेशक माध्यमिक/प्रारम्भिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर।
5. परियोजना निदेशक, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद, जयपुर।
6. संयुक्त शासन सचिव, शिक्षा (ग्रुप-2) विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
7. संबंधित मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी/जिआ (मु) मा/प्रा/जिआ विधि मा/प्रा जोधपुर/मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी।
8. संबंधित संस्था प्रधान/पीईईओ/यूसीईईओ को प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि उक्तानुसार संबंधित कार्मिकों की कार्यग्रहण/कार्यमुक्ति आवश्यक रूप से शाला दर्पण के माध्यम से करवाते हुए शाला दर्पण को तत्काल अद्यतन करावे।
9. संबंधित कार्मिक।
10. रक्षित पत्रावली।

संभागीय संयुक्त निदेशक
स्कूल शिक्षा जोधपुर